

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

शिवाजी नगर, जोन क्र. 04

क्र. / लो.क.वि. / जोन-४ / २०२३ / ५७५

भिलाई, दिनांक २८ /०६ /२०२३

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

—0—

नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा जोन-०४ शिवाजी नगर अंतर्गत सी-मार्ट के संचालन हेतु RFP दिनांक- 14.07.2023 तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त RFP दिनांक-18.07.2023 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित एजेंसी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

कार्य की विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में नगर पालिक निगम, भिलाई के वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com, <http://eproc.cgstate.gov.in> एवं UAD की साईट में देखी जा सकती है।

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

कार्यपालन अभियंता

शिवाजी नगर जोन ०४

नगर पालिक निगम, भिलाई

RFP दिनांक १४.०७.२०२३ तक आमंत्रित की जाती है। आप RFP

द्वारा दिये गए अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।

प्रतिनिधि को इसके लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियमित रूप से उपस्थित रहना चाहिए।



Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिका निगम, भिलाई
सी मार्ट व्यवसायिक परिसर नियम शर्तें

नगर पालिका निगम, भिलाई पायर हाउस में निर्मित सी मार्ट व्यवसायिक केन्द्र 5 वर्षों के लिए (नियम शर्तें लागू) रोजाना/व्यवसाय करने का एक सुनहरा मीका नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र में निवासारत आग नागरिकों, व्यक्तियों, गहिला रव सहायता समूहों, पंजीकृत रांगथानों को भी प्रेदान करना चाहती है जिसके अंतर्गत इच्छुक आवेदक परिसर के अन्दर कोई कार्य का व्यवसाय कर सकता है जिसमें कम से कम 40% स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सामग्री होगी। व्यवसाय में छ.ग. में निर्मित सामग्री की प्राप्तिका दो जावे। इसके आवेदन के लिए निमानुसार प्रक्रिया निर्धारित किया गया है :-

- 1 दिनांक 14/07/2023 को 11.00(साढ़े) बजे तक लिखित प्रस्ताव स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डांक के माध्यम से दर आमंत्रण किया जाता है। वित्तीन्-शर्ते जोन कार्यालय जोन 04 से प्राप्त किया जा सकता है अथवा कार्यालय नगर पालिका निगम की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com व संचालनालय वी वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चीप की वेबसाईट eproc.cgstate.gov.in में देखी एवं डाइनलोड की जा सकती है।
- 2 दरदाता को तीन लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रु 2.50 लाख का एजेंसी एवं जोन आयुक्त जोन 04 नगर पालिका निगम भिलाई के संयुक्त नाम से एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) एवं राशि रु 2000.00 मात्र का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का डी.डी. आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई के नाम से हो तथा ऐकिनकल बीड (आवेदक का रजिस्ट्रेशन, (यदि हो), शपथ पत्र, व्यक्ति का पहचान पत्र व वर्तमान निवास पता संबंधी दस्तावेज, पेनकार्ड, आयकर प्रमाण पत्र, GST सभी दस्तावेज का स्वहरताक्षरित छायाप्रति। लिफाफा 'ब' में वित्तीय बिड (दर) तथा लिफाफा अ, व को एक बड़ा लिफाफा 'स' में भरकर प्रस्तुत करना होगा। सभी लिफाफा के ऊपर रपष्ट शब्दों में कार्य एवं विभाग का नाम एवं अ, ब, स का उल्लेख रहेगा। अमानत राशि में शारन द्वारा छूट प्राप्त का नियम लागू रहेगा।
- 3 प्रस्ताव स्वीकृत की सूचना पश्चात 7 दिनों के भीतर इकारानामा करना होगा। इकारानामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा धरोहर राशि राजसात करते हुए प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की स्थिति में कार्यादेश के पश्चात 1 माह के अन्दर संचालन प्रारंभ करना होगा। आवश्यकतानुसार विद्युत व्यवस्था, मीटर लगाने का कार्य एवं विद्युत देयक भुगतान का समर्त संधारण एजेंसी करेगी।

- 4 यह कार्य 5 वर्षों के लिए आमंत्रित है। 5 वर्ष की अवधि समाप्ति उपरांत 6 वर्ष पुनः अनुबंध कर नवीनीकरण किया जा सकेगा। अनुबंध नवीनीकरण करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित होगा।
- 5 अनुबंध समय समाप्ति के 2 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। दो वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष वार्षिक यूजर चार्ज में 10% की वृद्धि होगी।
- 6 सी मार्ट व्यवसायिक परिसर का संचालन शासन/जिला प्रशासन/निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित समय तक ही खुली रहेगी। उसके पश्चात् के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 7 अनुबंध अवधि के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकायों तथा नगर पालिक निगम द्वारा प्रचलित एवं समय-समय पर लागू की जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा।
- 8 किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं करेगा। अन्यथा की स्थिति में एजेंसी समस्त कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा।
- 9 सी मार्ट में 40 प्रतिशत शासकीय विभागों, स्व सहायता समूहों, सहकारी समितियों, एवं निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित उत्पादों को तथा 60 प्रतिशत एफएमसीजी उत्पाद विक्रय हेतु रखेंगे। जो उत्पाद वर्तमान में छत्तीसगढ़ में निर्मित नहीं हो रहे हैं, परंतु उपभोक्ता की सुविधा और उत्पाद श्रृंखला को पूरा करने के लिये जिनका विक्रय सी-मार्ट में करना आवश्यक लगे उन्हें आयात भी किया जा सकता है।
- 10 श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनंबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके कर्मकारों कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी।
- 11 कचरा निपटान के लिये स्टॉल के आसपास सुखा-गीला कचरा के लिये निर्धारित अनुसार व्यवस्था करना होगा। कचरा निगम द्वारा लिया जायेगा जिसका नियमानुसार भुगतान एजेंसी स्वयं रहेगी।

- 12 वाहनों की पार्किंग कतार बद्ध हो यह अनुबंधकर्ता से सुनिश्चित करना होगा जिससे आवागमन बाधित न हो।
- 13 नियमानुसार गुमास्ता लायसेंस एवं अन्य अनुमति या लायसेंस संबंधित विभाग से विक्रय प्रारंभ पूर्व लेना अनिवार्य होगा।
- 14 संलग्न छत्तीसगढ़ राजपत्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 07.12.2017 में सरल क्र. 09 (छ) में उल्लेखित यूजर चार्जेस 0.80 प्रति वर्गफुट प्रति माह एजेन्सी को देय होगा।
निगम के द्वारा यूजर चार्ज अनुबंधित एजेन्सी से किया जावेगा जिससे प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जावेगी। उपरोक्तानुसार सी मार्ट में 9000 वर्गफुट स्थान में निर्माण किया गया है, शेष लगभग 9000 वर्गफुट खुला स्थान है जिसका यूजर चार्ज उपर्युक्त दर अनुसार देय होगा।
- 15 सी मार्ट के संचालन एवं संधारण के लिये सबसे अधिक बोली लगाने वाली एजेन्सी को प्रदान किया जावेगा।
- 16 सी मार्ट व्यवसायिक केन्द्र का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। यह एजेंसी को स्वयं करना होगा, जिसमें इसके लिए कोई व्यय नहीं रहेगा।
- 17 वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें पुनः कार्य पर योग्यता अनुसार रखने की प्राथमिकता होगी।
- 18 जो दुकानदार वहां दुकान लगाते हैं उन्हें नियम शर्तों का पालन करते हुए प्राथमिकता दी जाये।
- 19 परिसर के अन्दर बाहर सम्पूर्ण क्षेत्र की साफ-सफाई, संचालन, नियमित संधारण की जवाबदारी एजेन्सी की होगी।
- 20 सी मार्ट में रखे जाने वाले महिला समूह के उत्पादों को भुगतान अनुबंधित एजेन्सी को करना होगा।
- 21 सी मार्ट में उत्पाद रखने के लिये अनुबंधित एजेन्सी एवं महिला समूह के मध्य एमओयू करना होगा।

- 22 सी मार्ट ऑन व्हिलस् भी चलाई जायेगी जिसका संचालन संधारण डीजल एवं ड्राईवर का भुगतान संबंधित एजेन्सी को करना होगा।
- 23 सी मार्ट ऑन व्हिलस् को प्रत्येक जोन के सप्ताहिक दैनिक बाजार, शॉपिंग मॉल एवं डोर टु डोर विक्रय हेतु रखा जाना होगा। इस हेतु समय तिथि आदि का निर्धारण करने हेतु अनुबंधित एजेन्सी स्वतन्त्र होगा।
- 24 सी मार्ट ऑन व्हिलस् का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना होगा इस की समस्त जवाबदेही अनुबंधित एजेन्सी की होगी।
- 25 अनुबंधकर्ता एजेंसी के द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।
- 26 एजेन्सी द्वारा स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की तय एमआरपी से 10 प्रतिशत डिस्कांट दर से क्रय करेंगे, जिसका भुगतान उत्पाद का स्टॉक प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर करना होगा।
- 27 अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा, न ही किसी अन्य को कार्य का हस्तातंरण कर सकेगा। यदि अनुबंध की अवधि में कार्य छोड़ा गया है। तो नये निविदा से जो हानि नगर पालिक निगम भिलाई को होगी, उसकी क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जा सकेगी और उसकी सुरक्षा राशि/निविदा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

जोन आयुक्त सह नोडल अधिकारी
डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
नगर पालिक निगम भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)